न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 37 / 2015 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2011 / 00111

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र टीकम जाति ब्राहम्ण निवासी ऊँच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सियाराम (मतक)
   - 2 / 1. अनिल शर्मा } पिस0 सियाराम
   - 2 / 2. राजेश कुमार }
   - 2 / 3. मुस0 शकुन्तला वेवा सियाराम
   - 2 / 4. रेनु शर्मा } पुत्रीया सियाराम
   - 2 / 5. सरोज देवी
   - 2 / 6. सुषमा
   - 2 / 7. ललतेश
   - 2 / 8. मिथलेश

   } जाति ब्राहम्ण निवासी ऊँच तह0 नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुरारी
2. महेश
3. तेजी
4. सुरेश
5. मंगू
6. इंदर
7. शान्ती पत्नी भगवानस्वरूप निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।
10. पंजाब नेशनल बैंक नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी नदबई दि0 30.06.11 प्र.सं. 108 / 09 उनवानी भगवानसहाय बनाम मंगू वगै0।

उपस्थितिः–

1. श्री गंगाराम शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री के0के0 सिंघल एवं पंकज कुमार वकील रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–27.12.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम ऊॅच तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी मे सं कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को बेचान कर दिया तथा बाकी शेष आराजी को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 के बीच बराबर हिस्सा कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव दिनांक 06.11.2006 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में अपील दायर की, जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.06.2009 से आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवादित आराजी बाबत् पुनः कुर्रे प्रस्ताव तलब करते हुये, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2011 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुये अपने मौखिक कथनों में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि कुरा रिपोर्ट खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट को कुरा रिपोर्ट तैयार करने के समय एवं मौका पर जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है और ना ही रिपार्ट मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर तैयार की गयी है। कुरा रिपार्ट दिनांक 09.02.2011 पर ना तो अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है और ना ही मौके पर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर है जिससे साबित होता है कि कुरा रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गयी है। कानूनी प्रावधानो के अनुसार सभी पक्षकारान विवादित आराजी में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कुरा रिपोर्ट असक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी है जिस पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर अंकित हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर समस्त पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार कुरा

रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि कुरा रिर्पोट तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016–17 पेज 711, 2017 पेज 610, 2016(1) पेज 87, 2014(1) पजे 258, आरबीजे 2017 पेज 299, 1996(3) पेज 91, 2016 पेज 262, 2000 पेज 194,आरआरडी 1995 पेज 475, 1990 पेज 665, 1995 पेज 99 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूपेण सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना को जाकर अन्तिम डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट ने ऐसे किसी नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, जिसके आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार नायब तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर कुरा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2013(1) पेज 58, आरआरडी 2018 पेज 215 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्यतः यह कथन रहे हैं कि कुरा रिपोट स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर, नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी है एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना नहीं की गयी है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथ्य के गलत होने, के आक्षेप की पुष्टि म कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.06.2011 में पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना अंकित है, इस तथ्य को जब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 30.06.2011 से नायब तहसीलदार नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर, पक्षकारान् की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः अपीलाण्ट की यह आपत्ति कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये

हैं। सारपूर्ण एवं तर्कसंगत नही है। विभाजन प्रस्ताव एवं मौका पर्चा पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है एवं साथ ही प्रत्येक खसरा नम्बर पर लगान फलावट, नजरी नक्शा आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। अतः कुर्रे नायब तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन के नियमों अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा करते हुए बनाये हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2011 विधि अनुरूप होने के कारण यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर